



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6009

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 45058 / 2025

विकाश

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : हिमांशु मिश्रा

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : आशुतोष त्रिपाठी, शा.अधि., निशीथ त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. श्री हिमांशु मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक के लिए, श्री निशीथ त्रिपाठी, विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता के लिए तथा श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, विद्वान राज्य विधि अधिकारी, राज्य के लिए को सुना गया और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक विचाराधीन विचारण लंबित रहने की अवधि में मुकदमा अपराध संख्या 556 / 2025, धारा 191(2), 191(3), 103(1), 109(1), 125 बी.एन.एस. के अधीन, थाना - जैत, जिला - मथुरा में जमानत चाहता है।
4. अभियोजन कहानी के अनुसार, आवेदक और अन्य अभियुक्त व्यक्ति 22.10.2025 को लगभग रात 10:30 बजे मृतक व्यक्ति पर ईंटबाजी में शामिल होना बताए जाते हैं जिससे सूचनाकर्ता की बेटी की मृत्यु हो गई और सूचनाकर्ता की माँ सरोज घायल हो गई।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उक्त अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। प्राथमिकी लगभग सात घंटे विलंबित है और उक्त विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य और समग्र आरोप हैं, इसलिए यह नहीं बताया जा सकता कि मृतक व्यक्ति को लगी चोटों का कर्ता कौन है। इसलिए, आवेदक जमानत का हकदार है।
7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक को दिए गए एक मामले के आपराधिक इतिहास को स्पष्ट किया जा चुका है। आवेदक 24.10.2025 से जेल में बंद है और मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
8. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का बलपूर्वक विरोध किया है।
9. उच्चतम न्यायालय ने प्रभाकर तेवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, 2020 (11) SCC 648 में यह टिप्पणी की है कि अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों की लंबितता अपने आप में जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती, यदि अन्यथा उसका जमानत का मामला बनता है।
10. "दोषसिद्ध होने तक निर्दोषिता की उपधारणा" का प्रसिद्ध सिद्धांत जमानत को नियम और कारावास को अपवाद की अवधारणा को जन्म देता है।
11. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इस आधार पर नहीं छीना जा सकता कि व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप है जब तक युक्तिसंगत संदेह से परे दोष स्थापित न हो जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न किया जाए, और वह प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को उच्चतम न्यायालय ने सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और एक अन्य, (2022) 10 SCC 51 में दोहराया है।
12. उक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए, उच्चतम न्यायालय ने मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 INSC 595 के मामले में, यह पुनः जोर दिया है कि यह भली-भांति स्थापित विधि का सिद्धांत कि जमानत को दंड के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए, भुलाया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं जाना चाहिए। यह उचित समय है कि न्यायालय इस सिद्धांत को स्वीकार करें कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद है।"

13. विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता/राज्य विधि अधिकारी ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं ला पाए जो आवेदक को जमानत देने से इनकार को उचित ठहराए।
14. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों, अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक सहित सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य और समग्र आरोप हैं और उसे कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्ट्या न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
15. आवेदक विकाश, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बंध-पत्र और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए। (i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। (ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा। (iii) आवेदक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
16. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
17. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

9 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।